कार्यालय कलेक्टर, जिला नारायणपुर छत्तीसगढ़
(आदिवासी विकास शाखा)

दूरभाष : 07781–252881 फैक्स : 252920
Email : collector.asttw.narayanpur@gmail.com

–:: संशोधित विज्ञापन ::–

क्रमांक/ 2525 /आ.वि./स्था./2024–25 नारायणपुर दिनांक 29/8/2024

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा संचालित छात्रावास/आश्रमों में निवासरत छात्र/छात्राओं का स्वास्थ्य परीक्षण एवं परामर्श नर्सो के माध्यम से किये जाने हेतु 06 ए.एन.एम. (नर्स) के पद पर संविदा भर्ती हेतु दिनांक 18.09.2024 तक जिले के स्थानीय निवासियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किया जाना है।

शैक्षणिक योग्यता एवं शर्ते–

1. उपरोक्त संविदा नियुक्ति शैक्षणिक सत्र 2024–25 के लिए होगी।
2. नर्सिंग बोर्ड से ए.एन.एम. प्रशिक्षित/परीक्षा उत्तीर्ण तथा छ.ग. नर्सिंग काउंसिल से पंजीयन होना अनिवार्य है।
3. उक्त पदों पर संविदा आधार पर नियुक्ति की जावेगी तथा मानदेय एकमुश्त 15000.00 देय होगा।
4. जिले के मूल निवासियों को भर्ती में प्राथमिकता दी जावेगी तथा इस जिले से पात्र अभ्यर्थी नहीं होने की स्थिति में छ.ग. के अन्य जिले के अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जावेगी।
5. शासन के निर्देशानुसार आयु सीमा में छूट की पात्रता होगी।
6. शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव के अंको के आधार पर चयन किया जावेगा एवं उक्त पद पर न्यूनतम एक वर्ष का अनुभवन होना अनिवार्य होगा, गैर अनुभव वाले उम्मीदवार अपात्र माने जायेंगे।
   3. ए.एन.एम. प्रशिक्षण में प्राप्ताकों का 90 प्रतिशत अंक
   4. अनुभव में अंक – 10 अंक (01 वर्ष – 02 अंक, 02 वर्ष – 05 अंक एवं 03 वर्ष – 10 अंक)
7. प्रतीक्षा सूची की वैद्यता एक वर्ष के लिए होगी।
8. छ.ग. सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2012 की शर्ते लागू होगी।
9. अभ्यर्थी का आवेदन पत्र दिनांक 18.09.2024 तक कार्यालयीन समय में डाक के माध्यम से कार्यालय सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास नारायणपुर को प्राप्त हो जाना चाहिए।
10. त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र बिना सूचना के अमान्य की जा सकेगी।
11. भर्ती से संबंधित किसी भी विवाद हेतु सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास नारायणपुर का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।
12. जन्मतिथि के प्रमाण हेतु 10वीं की अंकसूची संलग्न करना अनिवार्य होगा।
13. जिले के वेबसाईट www.narayanpur-gov-in से विस्तृत विज्ञापन देखी जा सकती है।

उक्त भर्ती विशेष केंद्रीय सहायता आदिवासी उपयोजना एवं केन्द्रीय क्षेत्रीय योजना मद अंतर्गत आदिवासी क्षेत्र हेतु किये जाने के कारण केवल अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को ही प्राथमिकता होगी।

सहायक आयुक्त
आदिवासी विकास
नारायणपुर

पृ0क्रमांक/ 2526 /आ.वि./स्था./2024–25 नारायणपुर दिनांक 29/8/2024

प्रतिलिपि :–

1. आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास अटल नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
2. कलेक्टर जिला नारायणपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला नारायणपर को सूचनार्थ।
4. जिला सूचना अधिकारी एन.आई.सी. नारायणपुर। कृपया जिले के शासकीय वेबसाईट www.narayanpur-gov-in में अपलोड करने हेतु।
5. सहायक संचालक जनसंपर्क विभाग नारायणपुर। कृपया स्थानीय दो समाचार पत्रों में निशुल्क प्रकाशन हेतु।

सहायक आयुक्त
आदिवासी विकास
नारायणपुर